प्रारूप–एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, एवं पदेन उप सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग बस्तर जिला, जगदलपुर

— अधिसूचना —

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत

कंमाक क/भू–अर्जन/11/2011, जगदलपुर दिनॉक 31/मई /2016

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात :–

जिला	तहसील	ग्राम /नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	लोक प्रयोजन का विवरण
बस्तर	जगदलपुर	माड़पाल (पटवारी हल्का नम्बर 25 राजस्व निरीक्षक मण्डल जगदलपुर (बे))	83.16	एन0एम0डी0सी0 3 एम0 टी0पी0ए0 इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के निर्माण हेतु ।
बस्तर	जगदलपुर	चोकावाड़ा (पटवारी हल्का नम्बर 29 राजस्व निरीक्षक मण्डल जगदलपुर (बे))	78.18	एन0एम0डी0सी0 3 एम0 टी0पी0ए0 इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के कस्ट्रक्शन कॉलोनी प्रशिक्षण केन्द्र एवं फिनिश्ड प्रोडक्ट प्लांट के निर्माण हेतु
बस्तर	जगदलपुर	कस्तुरी (पटवारी हल्का नम्बर 29 राजस्व निरीक्षक मण्डल जगदलपुर (बे))	2.44	एन0एम0डी0सी0 3 एम0 टी0पी0ए0 इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के निर्माण हेतु।
बस्तर	जगदलपुर	खुटपदर (पटवारी हल्का नम्बर 28 राजस्व निरीक्षक मण्डल जगदलपुर (बे)	136.39	एन0एम0डी0सी0 3 एम0 टी0पी0ए0 इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के कर्मचारी /अधिकारी के निवास हेतु स्थायी आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु ।
बस्तर	जगदलपुर	मंगनपुर (पटवारी हल्का नम्बर 26 राजस्व निरीक्षक मण्डल जगदलपुर (बे))	2.34	एन0एम0डी0सी0 3 एम0 टी0पी0ए0 इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के इन प्लांट रेलवे लाईन के निर्माण हेतु ।
बस्तर	जगदलपुर	धनपूंजी (पटवारी हल्का नम्बर 24राजस्व निरीक्षक मण्डल जगदलपुर (बे))	170.26	एन0एम0डी0सी0 3 एम0 टी0पी0ए0 इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के स्टाकयार्ड, जलाशय, वेस्ट डिस्पोजल प्लांट निर्माण एवं वृक्षारोपण हेतु ।

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाधात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनॉक 29.06.2016 (बुधवार) को प्रातः 11.00 बजे पंचायत भवन चोकावाड़ा, पर नियत की गई है । प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट एवं विभिन्न कार्यो के निर्माण हेतु ।
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	1174 (खातेदार)
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	770 लगभग
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या	निजी मकान — 14 (चौदह), वृक्ष —280, सड़क मार्ग — 3.00 हेक्टयर, बोरबेल — 08, मंदिर —1 एवं एक छोटा केमिकल फैक्ट्री ।
(पॉच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(छ)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्युनतम है ?	हॉ
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हॉ
(आठ)	परियोजन की लागत	25515 करोड़
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	क्षेत्र में संयंत्र के निर्माण/कार्यशील होने से शासन को विभिन्न प्रकार के राजस्व की प्राप्ति होगी जैसे जलकर, भू—भाटक, आयकर, सेल टैक्स, उत्पादन शुक्ल, विद्युक शुल्क, आदि जिससे शासन के आय में वृद्धि होगी । शासकीय आय में वृद्धि का लाभ बस्तर जिले को मिलेगा जिससे जिले का विकास होना सवभाविक है । क्षेत्र में संयंत्र के कियाशील होने के उपरांत क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लधु उद्योग स्थापित होगें जिससे रोजगार में वृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त भूमि अर्जन से प्रभावित लोगों को शासन के नियमो के अनुरूप पुर्नवास का लाभ प्राप्त होगा जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होना स्वभाविक है । इसके अतिरिक्त क्षेत्र में एन.एम.डी.सी. द्वारा निगम के नैगम सामाजिक दायित्व अन्तर्गत कराए जाने वाले विभिन्न विकास कार्य से क्षेत्र का चहुमूखी विकास स्वभाविक है ।
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाधात की प्रति पूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित संभावित व्यय	—
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी / सुझाव देना हो तो दिनॉक 29.06.2016 (बुधवार) समय प्रातः 11.00 बजे पंचायत भवन चोकावाड़ा, पर दी जा सकेगी ।

(अमित कटारिया)
कलेक्टर,
बस्तर जिला